

संख्या 6341

/उ0ख0(ईनि)-V / वि0का0ज्ञ0 / भू0खनि0नि0 / 2025-26,

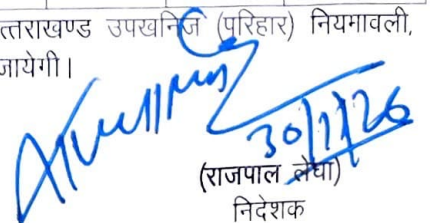
दिनांक 30 जनवरी, 2026

विज्ञापितकरण कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 977 / VII-A-1 / 2023-24ख / 2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली 2023 के अध्याय-4 नियम-20(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य के विभिन्न जनपदों के नदी तल राजस्व क्षेत्रों में उपनियम (4) के अनुसार गठित समिति द्वारा जनपदवार चिन्हित रिक्त उपखनिज क्षेत्रों/लॉटों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वारा उपनियम (2) में निर्धारित अवधि के लिए खनिज परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु जनपद पिथौरागढ़ के 02 लॉट, जनपद टिहरी गढ़वाल के लॉट 01, जनपद अल्मोडा 01 तथा जनपद नैनीताल 01 कुल 05 नवीन लॉट को खनिज परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नवत विज्ञापित किये जाने की घोषणा की जाती है:-

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्रफल (है० में)	भूमि की श्रेणी	मात्रा (टन में)	खनिज का प्रकार
जनपद पिथौरागढ़								
01.	कनालीछीना	स्यूबन, पट्टी पीपली	काली नदी	खाता संख्या 04, खसरा संख्या 10 रकवा 0.740 है० मध्ये 0.500 है०	0.500	राजस्व	27000	आर० बी०एम०, (बालू, बजरी, बोल्टर)
02.	पिथौरागढ़	राडीखूँटी-II	रामगंगा नदी	खसरा संख्या 579 रकवा 0.892 है०, खसरा संख्या 695 रकवा 0.315 है० कुल रकवा 1.207 है० मध्ये रकवा 0.645 है०	0.645	राजस्व	34830	आर० बी०एम०, (बालू, बजरी, बोल्टर)
जनपद टिहरी गढ़वाल								
03.	धनोली	दुबडा	साँग नदी	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) के नाम दर्ज खसरा संख्या 644 कुल रकवा 0.853 है० मध्ये 0.300 है०	0.300	राजस्व	16200	आर० बी०एम०, (बालू, बजरी, बोल्टर)
जनपद अल्मोडा								
04.	स्याल्दे	खटलगाँव	विनोद नदी	खाता संख्या 92 के खसरा संख्या 695, 697, 698, 1036, 1038, 1040, 1041, 1042, 1095, 1096, 1097, 1098, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130 खाता संख्या 94 के खसरा संख्या 685, 1037, 1039, 1140, 1156, 1300, 1343, 1344 कुल रकवा 7.534 है० मध्ये रकवा 5.335 है० ।	5.335	राजस्व	288090	आर० बी०एम०, (बालू, बजरी, बोल्टर)
जनपद नैनीताल								
05.	बेतालघाट	सेठी भण्डार	कोसी नदी	खाता संख्या 63 के खसरा संख्या 3103 कुल रकवा 4.903 है० मध्ये 1.00 है०	1.00	राजस्व	54000	आर० बी०एम०, (बालू, बजरी, बोल्टर)

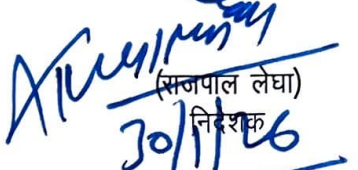
उपरोक्तानुसार घोषित रिक्त क्षेत्र/लॉट से उपखनिजों के खनन/चुगान हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।


(राजपाल सिंघा)
निदेशक

संख्या 6341 /उ0ख0(ईनि)-V/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2025-26, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, औद्योगिक विकास (खनन), उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. आयुक्त कुमांऊ मण्डल नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/टिहरी गढ़वाल/अल्मोड़ा/नैनीताल।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद पिथौरागढ़/टिहरी गढ़वाल /अल्मोड़ा/नैनीताल।
7. गार्ड फाइल।


(सजपाल लेघा)
निदेशक
30/11/26